बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या 57/2014 के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में **राजनीति विज्ञान** विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हित एवं अनर्हित उम्मीदवारों की सकारण सूची सहित समाहित एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें अपने अनर्हित होने के कारणों पर यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति अभ्यावेदन साक्ष्य के साथ बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को ई–मेल– bpscpat-bih@nic.in पर भेज सकते हैं, जो दिनांक 31.07.2018 की संध्या 05.00 बजे तक या उसके पूर्व आयोग को प्राप्त हो जाए। दिनांक 31.07.2018 के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिन अभ्यर्थियों के द्वारा Ph.D/M.Phil With UGC Regulation 2009 का दावा किया गया है अथवा दावा करना चाहते हैं, उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे अपने–अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत UGC Regulation 2009 के अन्तर्गत Ph.D/M.Phil का प्रमाण पत्र, Ph.D./M.Phil **के निबंधन की तिथि एवं संख्या से संबंधित प्रमाण पत्र,** Pre Ph.D/ Course Work का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र तथा Ph.D/M.Phil कितने और किन–किन Criteria से उत्तीर्ण है, से सम्बंधित प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थी के Ph.D/M.Phil प्रमाण पत्र को Without UGC Regulation 2009 माना जाएगा, जिन उम्मीदवारों की अर्हता मात्र UGC Regulation 2009 के तहत Ph.D की उपाधि के आधार पर ही स्वीकृत है, उनकी अर्हता अस्वीकृत कर दी जाएगी एवं साक्षात्कार में शामिल होने से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा।

अर्हित अभ्यर्थियों के प्रथम चरण का साक्षात्कार दिनांक– 31.07.2018 से प्रारम्भ होगा। साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। शेष अर्हित उम्मीदवारों के साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना (आयोग के वेबसाईट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से) बाद में दी जाएगी।

साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि के एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाईट **www.bpsc.bih.nic.in** पर साक्षात्कार पत्र उपलब्ध रहेगा, जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों की अर्हता पूर्णतः औपबंधिक है। उनकी अर्हता पर यथासमय समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

19.7.18

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना